

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 108/2017

प्रार्थी:-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड यूनिट  
पाली सीमेन्ट वर्क्स, जैतारण जरिये  
सर्वाधिकार श्री संजय जैन पुत्र स्व.  
पी.एस. जैन हाल ब्यावर उप  
प्रबंधन अल्ट्राटेक सीमेंट लि.

1. भूण्डा पुत्र जग्गा जाति गुर्जर
2. बालू पुत्र नाथू जाति गुर्जर
3. बुधाराम पुत्र नाथूराम जाति गुर्जर  
निवासीगण निम्बेड़ा खुर्द तहसील  
जैतारण जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी  
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया

निर्णय

दिनांक :- 15.10.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार जैतारण से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। बहस उभयपक्ष सूनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को खान एवं भू विज्ञान विभाग ने लीज प्रदान की है, जिसके लीज संख्या 29/99 क्षेत्रफल 689.76 हेक्टेयर है। उक्त लीज की अवधि 50 वर्ष है, जो दिनांक 19.03.2015 से प्रभावी होकर वर्तमान में कार्यशील है। लीजडीड के अनुसार प्रार्थी को ग्राम मोहराई, दागला, आसरलाई, निम्बेड़ा खुर्द, टुकडा व मेसिया तहसील जैतारण एवं तहसील रायपुर के अन्य गांवों में भी अवस्थित भूमि, जिनके खसरा नम्बर पृथक पृथक है, के खातेदारान से अवाप्त कर कम्पनी खनन कार्य करने हेतु प्रक्रियाधीन है। ग्राम निम्बेड़ाखुर्द के खसरा नम्बर 17 रकबा 10-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 18 रकबा 05-02 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 15-10 बीघा की खातेदारी भूमि है, जैर प्रार्थना पत्र आराजी प्रार्थी ईकाई को खनन एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र के मध्य स्थित है तथा चारों ओर घिरी हुई है, जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा

जिला कलेक्टर, पाली

अपने लीज क्षेत्र में खनन तथा समनुषंगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु अप्रार्थीगण की भूमि की आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी ईकाई अपने उद्योग को नहीं चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदान कराना आवश्यक है। अप्रार्थीगण के हिस्से की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी ईकाई तत्पर है। अतः उपरोक्त भूमि का मुआवजा निर्धारित करावे एवं भूमि प्रार्थी ईकाई को खनन एवं समनुषंगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ उपलब्ध करवावे।



विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस एवं जवाब में उल्लेख किया कि प्रार्थी कम्पनी जिस सीमेन्ट प्लांट के लिए अप्रार्थीगण की भूमि लेना चाह रही है, वह सीमेन्ट प्लांट अभी तक अस्तित्व में ही नहीं है, न ही कोई औद्योगिक इकाई स्थापित है तथा जब तक सीमेन्ट प्लांट भौतिक रूप से स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 की उपधारा 2, 3 व 4 की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थीगण के जीविकोपार्जन का उक्त भूमि एक मात्र सहारा होने से अप्रार्थीगण उक्त आराजी सीमेन्ट कम्पनी को दी जाती है तो उनके रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। अप्रार्थीगण की उक्त भूमि काबिल काश्त भूमि है तथा भूमि पर अप्रार्थीगण के आवास बने हैं, पानी का टांका बना है, पशुधन के बाड़े बने हैं तथा करीब 100 पेड़ खड़े हैं एवं पूरी चार दीवारी का निर्माण हो रखा है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी को माईनिंग लीज प्राप्त है। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी ईकाई की माईनिंग लीज भूमि के मध्य ग्राम निम्बेड़ाखुर्द के खसरा नम्बर 17 रकबा 10-08 बीघा किस्म बारानी अब्बल एवं खसरा नम्बर 18 रकबा 05-02 बीघा किस्म बारानी अब्बल कुल रकबा 15-10 बीघा स्थित है। जिसकी तहसीलदार जैतारण की रिपोर्ट दिनांक 13.09.2019 के अनुसार डी.एल.सी. दर 28,750/- रुपये प्रति बीघा है एवं प्रश्नगत भूमि नगरपालिका क्षेत्र से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तहसीलदार जैतारण की मौका जांच रिपोर्ट में उक्त आराजियात पर स्थित पेड़ पौधों की संख्या एवं कीमत अंकित है। खनन के अन्य

जिला कलेक्टर, पाली

समनुषंगी कार्य हेतु प्रार्थी को उक्त भूमि की आवश्यकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 (4) के अनुसार खनिज सम्पदा के दोहन से यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति को सुना जाकर राज्य सरकार या उसका अभिहस्तांकित ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार के उल्लंघन के लिये प्रतिकर देगा एवं ऐसे प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस न्यायालय द्वारा राजस्थान भू अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। राजस्व (ग्रुप 6) विभाग अधिसूचना क्रमांक पं.1 (3) राज- 6/2011/पार्ट/14 दिनांक 16.10.14 के अनुसार, प्राइवेट कम्पनी द्वारा भूमि अर्जन करने की स्थिति में पुनर्वासन और पुर्ववस्थान के प्रावधान लागू करने के लिए अवाप्ति भू क्षेत्र की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 हेक्टर तथा शहरी क्षेत्र में 200 हेक्टेयर है। प्रार्थी कम्पनी का अवाप्ति क्षेत्र उक्त सीमा से कम होने से उक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं। भूमि अवाप्ति के सम्बंध में नया भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 दिनांक 1 जनवरी 2014 से लागू होकर, उनके प्रावधानों के अनुसार ही भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया एवं भूस्वामियों को दिये जाने वाले मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। चूंकि राज्य सरकार की ओर से भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में अलग से कोई भूमि अवाप्ति अधिनियम लागू नहीं किया गया है, अतः प्रकरण में नए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। नये भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचि प्रथम में भूमि धारकों को प्रतिकर के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसके क्रम संख्या 1 से 6 के अन्तर्गत कुल प्रतिकर की गणना किस प्रकार की जायेगी, का क्रमवार उल्लेख किया गया है एवं उक्त अनुसूचि की क्रम संख्या 2 के अनुसार दिये जाने वाले प्रतिकर के कारकों 1 से 2, जो कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट की दूरी पर आधारित होगा, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जावे, क्रम संख्या 4 में भूमि से जुड़ी हुई सम्पत्तियों के निर्धारण एवं क्रम संख्या 5 में तोषण का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा, का उल्लेख किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने का कथन कि प्रार्थी कम्पनी अस्तित्व में नहीं है, जो सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी कम्पनी के हक में खनन पट्टा आवंटन जारी किया गया है। जब तक भूमि अवाप्त नहीं हो जाती एवं प्रार्थी कम्पनी को हक व कब्जा नहीं मिल जाते, तब तक औद्योगिक ईकाई की स्थापना संभव नहीं है तथा ईकाई स्थापना के प्रयोजनार्थ ही भूमि का मुआवजा निर्धारण करवाना चाहा है। जिसमें आराजी के साथ धोरा-पाली, निर्माण उसमें खड़े वृक्ष आदि का मुआवजा

जिला कलेक्टर, पाली

तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार किया जाता है। अप्रार्थीगण को आराजी के सरफेश राईट ही प्राप्त है, वह भू स्वामि न होकर टिनेन्ट है। जिसके सरफेश राईट का उचित प्रतिकर निर्धारण कर दिया जाने के आदेश दिए जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की दूरी निकटतम नगरपालिका क्षेत्र से 23 कि.मी. है एवं उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना क्रमांक प01(3)राज. 6/2011/पार्ट/26 दिनांक 14.06.2016 में उल्लेखित भूमि का गुणक, जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावेगा, वह 1.75 है तथा गुणित किये गये उक्त बाजार मूल्य में एकट की अनुसूचि के प्रावधानों के अनुसार पेड़ पौधों व संपत्ति की कीमत को जोड़ा जाना है एवं धारा 30(1) के अनुसार ऐसी राशि की शत प्रतिशत तोषण की राशि होगी। प्रार्थी को राज्य सरकार के खनन विभाग द्वारा विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु पट्टा 50 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया गया है, जिसके सहायक कार्य हेतु प्रश्नगत भूमि चाही जाने से इस भूमि के खातेदार के सरफेश राईट का उल्लंघन होगा। जिसके लिये अप्रार्थी को प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना आज्ञापक है। अतः प्रतिकर का निर्धारण निम्नानुसार सारणी के अनुरूप किया जाता है -



	खातेदार का नाम जिसका विवरण जमाबंदी में अंकित है।	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	डी.एल.सी. दर	राशि (कॉलम संख्या 3 x 5)	नगर पालिका से दूरी किमी में व उसके अनुसार गुणक		कुल राशि (कॉलम संख्या 6 x 8) रु.
							7	8	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1. भूण्डाराम पुत्र जग्याराम जाति गुर्जर हिस्सा 1/2	17	10 बीघा 08 बिस्वा	बारानी अब्बल	28750	299000	23	1.75	523250
	2. बालूराम पुत्र नाथूराम जाति गुर्जर हिस्सा 1/4								
	3. बुधाराम पुत्र नाथूराम जाति गुर्जर हिस्सा 1/4 निवासीगण निम्बेड़ा खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली	18	05 बीघा 02 बिस्वा	बारानी अब्बल	28750	146625	23	1.75	256593.75
B	योग								779843.75
C	प्रभावित भूमि पर अवस्थित पेड़ों की मालियत								225000.00
D	अन्य संरचना ( धोरा व तारबन्दी वगैरा)								80000.00
E	योग (कॉलम संख्या B + C + D)								1084843.75
F	तोषण 100 प्रतिशत ( कॉलम E के समान राशि ) ;								1084843.75
G	कुल देय प्रतिकर राशि ( E + F )								2169687.5

अतः प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त मुआवजा राशि रूपये 21,69,688/- (अक्षरे इक्कीस लाख उन्नसत्तर हजार छः सौ इठयासी रूपये मात्र) अप्रार्थीगण के नाम का चैक बनाकर तहसीलदार जैतारण को एक माह की अवधि में उपलब्ध करावे तथा

जिला कलेक्टर, पाली

तहसीलदार संबंधित खातेदार द्वारा उक्त आराजी में बोई हुई फसल ले लेने के पश्चात ही प्रतिकर अदायगी कर उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के सम्बंध में सन्तुष्टि के उपरान्त सम्बन्धित राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे तथा अपील अवधि गुजरने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में भूमि बिलानाम (सिवायचक) माईनिंग लीज अंकित की जावें। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का उपयोग प्रार्थी इकाई को लीज अवधि तक प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89(2) में वर्णित माईनिंग से संबंधित खनन एवं समनुषंगी कार्यों (Subsidiary Purposes) के लिए ही करने का अधिकार होगा। भविष्य में राज्य सरकार अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा राशि भुगतान में संशोधन किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा अन्तर राशि की अदायगी नियमानुसार की जाएगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार जैतारण/प्रार्थी कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15-10-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश चन्द जैन)  
जिला कलेक्टर पाली  
जिला कलेक्टर, पाली